भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्ना संख्यात 3455

दिनांक 10.12.2019/ 19 अग्रहायण, 1941 (शक) को उत्त र के लिए

समेकित आपातकालीन संचार और मोचन प्रणाली

†3455. श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
डॉ. संजय जायसवालः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री ए.के.पी. चिनराजः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समेकित आपातकालीन संचार और मोचन प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और इसकी शुरुआत से लेकर अब तक, इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रणाली के अंतर्गत एकल आपातकालीन नंबर के माध्यम से किस प्रकार की आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं;

(ग) क्या देश में समेकित आपातकालीन संचार और मोचन प्रणाली के लिए नियत किए जाने वाले एक सार्वभौमिक नंबर के बारे में कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एकल आपातकालीन नंबर 112 का उपयोग करते हुए वर्ष-वार कितनी आपातकालीन कॉलों पर कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने सभी मोबाइल फोनों में जीपीएस और पैनिक बटन को अनिवार्य बना दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने समेकित आपातकालीन संचार और मोचन प्रणाली के लिए प्राथमिक/ द्वितीयक पहुंच-नंबर नियत करने के संबंध में/के लिए कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस मामले में निर्णय कब तक लिया जाएगा?

उत्तनर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : गृह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) संबंधी परियोजना का क्रियान्व यन कर रहा है। इस ईआरएसएस के अंतर्गत पुलिस,

चिकित्सा. और आगजनी समेत विभिन्नी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में , एकल, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्य. नम्बआर अर्थात 112 आधारित एक आपात कार्रवाई तंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को घटनास्थनल पर पहुंचाया जाना शामिल है। 112 सेवा का उपयोग कॉल, एसएमएस, ईमेल, पैनिक बटन और एक 112 इंडिया मोबाइल एप के माध्यम से किया जा सकता है। पूरे देश में 27 राज्योंल/संघ राज्यए क्षेत्रों द्वारा ईआरएसएस को प्रचालन में लाया गया है।

(ग): सरकार ने 112 को एकल आपातकालीन नम्बर के रूप में अनुमोदित किया है।

(घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्य वस्थां राज्य के विषय हैं। राज्य सरकारें अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में कानून और व्यकवस्थाो को बनाए रखनेतथा नागरिकों की जान और संपत्ति की रक्षा करने के लिए जिम्मेरदार हैं। कार्रवाई के लिए 112 पर प्राप्ती हुई कॉलों की संख्या के ब्यौरे केंद्रीयकृत रूप में नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च): सरकार ने देश में बिकने वाले नए मोबाइल फोन हैंडसेटों में पैनिक बटन लगाये जाने को दिनांक 01 मार्च, 2017 से और देश में बिकने वाले नए स्मार्ट फोनों में "ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस)" लगाये जाने को दिनांक 01 जनवरी, 2018 से अनिवार्य बना दिया है। मौजूदा आपातकालीन नम्बरों जैसेकि 100, 101, 102, 108 इत्यादि को सेकेंडरी नम्बर माना जाएगा।

*****